Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 31-2020/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, FEBRUARY 27, 2020 (PHALGUNA 8, 1941 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 27th February, 2020

No. 14-HLA of 2020/26/3817.— The Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill, 2020, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 14- HLA of 2020

THE PUNJAB EXCISE (HARYANA AMENDMENT) BILL, 2020

A

BILL

further to amend the Punjab Excise Act, 1914, in its application to the State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Punjab Excise (Haryana Amendment) Act, 2020.

Amendment of section 3 of Punjab Act 1 of 1914.

2. After clause (15) of section 3 of the Punjab Excise Act, 1914 (hereinafter called the principal Act), the following clause shall be inserted, namely:-

"(15A) "major and minor offences"

(a) major offences mean-

(i) adulteration;

(ii) possession, transport and sale of non-duty paid liquor, (NDPL);

(iii) illicit manufacture, unlawful possession, transport, transit and sale of liquor;

(iv) rendering denatured spirit fit for human consumption;

(v) mixing noxious substance with liquor;

(vi) tampering with sealed bottles;

(vii) sale to minor;

(b) all offences other than those mentioned in sub-clause (a) above under this Act shall be minor offences;".

Substitution of section 61 of Punjab Act 1 of 1914.

3. For section 61 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

"61. Penalty for unlawful import, export, transport, manufacture and possession etc.- (1) Whoever, in contravention of any section of this Act or any rule, notification issued thereunder or any order passed or of any license, permit or pass granted under this Act,-

(a) imports, exports, transports, manufactures, collects or possesses any intoxicant; or

(b) constructs or works any distillery or brewery; or

(c) uses, keeps or has in his possession any material, still, utensil, implement or apparatus, whatsoever, for the purpose of manufacturing any intoxicant;

shall be punished for every such offence with imprisonment for a term which may extend to three years and with fine which may extend to ten lakh rupees:

Provided that in the case of an offence relating to the possession of,-

(i) a working still for the manufacture of any intoxicant, such imprisonment which shall not be less than two years and such fine which shall not be less than two lakh rupees. In case the fine is not paid, he shall have to undergo further imprisonment;

(ii) lahan, such imprisonment which shall not be less than one year and such fine which shall not be less than one lakh rupees. In case the fine is not paid, he shall have to undergo further imprisonment;

(iii) country liquor manufactured otherwise than in a licensed distillery in Haryana, in a quantity not exceeding twelve bottles, each bottle containing 750 millilitres, such imprisonment which shall not be less than six months and such fine which shall not be less than fifty thousand rupees and in a quantity exceeding twelve bottles of the aforesaid capacity, such imprisonment which shall not be less than two years and such fine which shall not be less than two lakh rupees. In case the fine is not paid, he shall have to undergo further imprisonment;

(iv) foreign liquor other than-

(a) manufactured in a licensed distillery or brewery or bottling plant in India; or

(b) imported into India on which custom duty is leviable under the Indian Tariff Act, 1934 (Central Act 32 of 1934), or the Customs Act, 1962 (Central Act 52 of 1962);

such imprisonment shall not be less than two years and such fine shall not be less than two lakh rupees. In case the fine is not paid, he shall have to undergo further imprisonment;

(v) foreign liquor manufactured in a distillery or brewery or bottling plant in India or imported into India on which custom duty is leviable under the Indian Tariff Act, 1934 (Central Act 32 of 1934) or the Customs Act, 1962 (Central Act 52 of 1962), in a quantity exceeding ten cases i.e. ninety bulk litres, on which the excise duty or any other levy payable under this Act, has not been paid, such imprisonment which shall not be less than two years and such fine which shall not be less than two lakh rupees. In case the fine is not paid, he shall have to undergo further imprisonment;

(vi) country liquor manufactured in a licensed distillery in Haryana, beyond the prescribed limit for private possession, such imprisonment shall not be less than six months and such fine shall not be less than fifty thousand rupees. In case the fine is not paid, he shall have to undergo further imprisonment;

(vii) foreign liquor manufactured in a licensed distillery or brewery or bottling plant in India or imported into India on which custom duty is leviable under the Indian Tariff Act, 1934 (Central Act 32 of 1934) or the Customs Act, 1962 (Central Act 52 of 1962), on which excise duty and all other levies payable under this Act, has been paid beyond the prescribed limit for private possession, such imprisonment which shall not be less than six months and such fine which shall not be less than one lakh rupees. In case the fine is not paid, he shall have to undergo further imprisonment; and

(viii) foreign liquor manufactured in a licensed distillery or brewery or bottling plant in India or imported into India on which custom duty is leviable under the Indian Tariff Act, 1934 (Central Act 32 of 1934) or the Customs Act, 1962 (Central Act 52 of 1962) in a quantity not exceeding ten cases i.e. 90 bulk litres on which excise duty or any other levy payable under this Act, has not been paid, such imprisonment which shall not be less than one year and such fine which shall not be less than one lakh rupees. In case the fine is not paid, he shall have to undergo further imprisonment.

(2) Whoever, in contravention of any section other than sections 29 and 30 of this Act or of any rule, notification issued or given thereunder or order made or of any license, permit or pass granted under this Act-

(a) sells any intoxicant; or

(b) cultivates the hemp plant; or

(c) removes any intoxicant from any distillery, brewery or warehouse established or licensed under this Act; or

(d) bottles any liquor for the purposes of sale; or

(e) taps or draws tari from any tari-producing tree,

shall be punishable with imprisonment not less than one year which may extend to two years and such fine shall not be less than two lakh rupees. In case the fine is not paid, he shall have to undergo further imprisonment.

Note:- Fine under section 61 shall not be less than ten times the amount of excise duty or consideration fee which would have been leviable if such intoxicant had been dealt with in accordance with this Act and the rules and orders made thereunder or in accordance with any license, permit or pass obtained thereunder or the amount of fine mentioned in any of the sub-sections whichever is greater.".

Amendment of section 62 of Punjab Act 1 of 1914.

4. In section 62 of the principal Act, for the words "five thousand rupees", the words "fifty thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of section 63 of Punjab Act 1 of 1914.

5. In section 63 of the principal Act, for the words "and more than three years and with a minimum fine of five thousand rupees and a maximum fine upto ten thousand rupees", the words "which may extend to five years and with fine which shall not be less than fifty thousand rupees but which may extend to two lakh rupees" shall be substituted.

Substitution of section 63-A of Punjab Act 1 of 1914.

6. For section 63-A of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

"63-A. Penalty for possession of unused and printed labels corks, etc., in contravention section 24-A.- Whoever in contravention of the provision of section 24-A has in his possession any unused and printed label, cork, capsule or seal, or an imitation thereof, shall be punishable with imprisonment which shall not be less than six months but which may extend to two years and with fine which shall not be less than fifty thousand rupees and fine which may extend to two lakh rupees.

Amendment of section 64 of Punjab Act 1 of 1914.

7. In section 64 of the principal Act, for the words "he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, and with fine which may extend to five thousand rupees", the words "he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year and with fine which may extend to ten thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of section 65 of Punjab Act 1 of 1914.

8. After clause (c) of section 65 of the principal Act, the following clauses shall be added, namely:-

"(d) allows disorderly conduct or gaming on the licenced premises; or

(e) reduces the strength of any liquor below the prescribed limit;

shall be punishable with imprisonment which may extend upto six months and with fine which shall not be less than ten thousand rupees and not more than fifty thousand rupees.".

Substitution of section 72 of Punjab Act 1 of 1914.

9. For section 72 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

"72. Certain offences to be non-bailable.- All offences punishable under this Act with imprisonment with two years or more, shall be non-bailable and cognizable and the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) with respect to non-bailable and cognizable offences, shall apply to those offences.

Insertion of section 72A, 72C, 72D, 72E and 72F in Punjab Act 1 of 1914.

10. After section 72 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:-

"72A. Penalty for mixing noxious substance with liquor.- Whoever, mixes or permits to be mixed with any liquor sold or manufactured or possessed by him any noxious drug or any foreign ingredient likely to cause disability or grievous hurt or death to human beings, shall be punishable, if as a result of such an act,-

(a) death is caused, with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine which may extend to ten lakh rupees;

(b) disability or grievous hurt is caused, with imprisonment for a term which shall not be less than six years but which may extend to imprisonment for life, and with fine which may extend to five lakh rupees;

(c) any other consequential injury is caused to any person, with imprisonment for a term which may extend to one year and fine which may extend to two lakh fifty thousand rupees;

(d) no injury is caused, with imprisonment which may extend to six months and fine which may extend to one lakh rupees.

Explanation.- For the purpose of this section, the expression "grievous hurt" shall have the same meaning as assigned to it in section 320 of the Indian Penal Code, 1860 (XLV of 1860).

72B. Order to pay compensation.- (1) The court, when passing an order under this Act may, if it is satisfied that death or injury has been caused to any person due to consumption of liquor sold in any place, order the manufacturer and seller, whether or not he is convicted of an offence, to pay, by way of compensation, an amount not less than three lakh rupees to the legal representatives of each deceased or two lakh rupees to the person to whom grievous hurt has been caused, or twenty thousand rupees to the person for any other consequential injury:

Provided that where the liquor is sold in a licensed shop, the liability to pay the compensation under this section shall be on the licensee.

(2) Any person aggrieved by an order under sub-section (1) may, within thirty days from the date of the order, prefer an appeal to the High Court:

Provided that no appeal shall be filed by the accused unless the amount ordered to be paid under sub-section (1) is deposited by him in the court:

Provided further that if the High Court is satisfied that the applicant was prevented by sufficient cause from making the application within the said period of thirty days it may entertain the application within a further period of ninety days, but not thereafter.

72C. Penalty for consumption of liquor in public place.- Whoever, in contravention of this Act or the rules, notification or order made thereunder-

(a) consumes liquor in a public place;

(b) consumes liquor in public place and creates nuisance;

(c) permits drunkenness or allows assembly of unsocial elements on the premises of liquor establishment,

shall be punishable,-

(1) in case of an offence falling under clause (a), with fine which may extend to five thousand rupees;

(2) in case of an offence falling under clause (b), with imprisonment for a term which may extend to three months and fine which may extend to ten thousand rupees;

(3) in case of an offence falling under clause (c), with imprisonment for a term which may extend to six months and fine up to fifty thousand rupees.

72D. Penalty for unlawful advertisement.- Whoever, prints, publishes or gives an advertisement directly or indirectly in any media soliciting the use of any liquor, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to two lakh rupees, or with both:

Provided that this section shall not apply to catalogue and price list and advertisement generally or specially approved by the Excise Commissioner for display at the points of sale for consumer information and education.

72E. Compounding of certain offences.- (1) Minor offences shall be compoundable under this Act.

(2) Any person who is reasonably suspected of having committed a minor offence under this Act, may apply to the Collector for compounding of the offence, before he is convicted.

(3) On receipt of such application, the Collector, having regard to the circumstances of the case, may in his discretion order for compounding of the offence on payment of a sum of money by way of compounding fee or compensation for the offence on such terms and conditions, as he deems fit.

(4) On payment by the person of such sum of money, such person, if in custody, shall be set at liberty and no proceeding shall be instituted or continued against such person in any criminal court:

Provided that the sum of money fixed as compounding fee or compensation by the Collector under this section shall not be less than five times and not be more than ten times the duty, involved or value of intoxicant, apparatus, vehicle and other material, whichever is higher:

Provided further that where intoxicant, apparatus or other material is seized, the same shall not be released but shall be disposed of in such manner, as may be prescribed.

72F. Certain things liable to be seized.- Where intoxicant, apparatus, vehicle or other material is seized, involved in any major offence under this Act, the same shall not be released but shall be disposed of in such manner, as may be prescribed.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Department of Excise and Taxation is committed towards ensuring complete check on manufacturing/sale of spurious liquor, thwarting all attempts of evasion of excise levies, plugging the leakage/pilferage, optimization of revenue, creating ambience for legitimate and responsible drinking and providing good quality liquor at reasonable price to those who drink. The Department is also making all out efforts to prevent dominance of liquor mafia. Due weightage is being given to the health and well being of the citizens of the State. Therefore, it is imperative that the law regarding unlawful import, export, transport, manufacture and possession of liquor be made more stringent in order to achieve the objectives stated above.

Hence, the Bill.

DUSHYANT CHAUTALA,
Deputy Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 27th February, 2020.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2020 का विधेयक संख्या 14.एच०एल०ए०

पंजाब आबकारी (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2020

पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम पंजाब आबकारी (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2020, कहा जा सकता है।

1914 के पंजाब अधिनियम 1 की धारा 3 का संशोधन।

2. पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के खण्ड (15) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(15क) "बड़े तथा छोटे अपराध"

(क) बड़े अपराधों से अभिप्राय है,–

(i) अपमिश्रण;

(ii) गैर–भुगतान शुल्क मदिरा का कब्जा, परिवहन तथा विक्रय (एन.डी.पी.एल.);

(iii) मदिरा का अवैध विनिर्माण, विधिविरूद्ध कब्जा, परिवहन, अभिवहन तथा विक्रय;

(iv) मानव उपभोग के लिए विकृतीकृत स्पिरिट युक्त प्रतिपादन;

(v) मदिरा में हानिकर पदार्थ मिलाना;

(vi) सिल्ड बोतल के साथ छेड़छाड़ करना;

(vii) अवयस्क को विक्रय करना;

(ख) इस अधिनियम के अधीन उपरोक्त खण्ड (क) में वर्णित अपराधों से भिन्न सभी अपराध, छोटे अपराध होंगे;'।

1914 के पंजाब अधिनियम 1 की धारा 61 का प्रतिस्थापन।

3. मूल अधिनियम की धारा 61 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"61. 'विधिविरूद्ध आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण तथा कब्जा इत्यादि के लिए शास्ति.– (1) जो कोई भी इस अधिनियम की किसी धारा या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, जारी की गई अधिसूचना अथवा पारित किसी आदेश अथवा इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त किसी अनुज्ञप्ति, परमिट अथवा अनुज्ञा–पत्र की उल्लंघना में,–

(क) किसी मादक–द्रव्य का आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, संग्रहण करता है अथवा कब्जे में रखता है; या

(ख) किसी मद्यनिर्माणशाला अथवा आसवनी का विनिर्माण करता है अथवा चलाता है; या

(ग) किसी मादक–द्रव्य के विनिर्माण के प्रयोजन के लिए कोई सामग्री, भभके, बर्तन, औजार अथवा उपकरण, चाहे जो भी हो, का प्रयोग करता है, रखता है अथवा अपने कब्जे में रखता है,

तो प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए ऐसे कारावास की अवधि, जो तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है तथा ऐसे जुर्माने, जो दस लाख रूपए तक बढ़ाया जा सकता है, से दंडित किया जाएगा:

परन्तु निम्नलिखित कब्जे से संबंधित अपराध की दशा में,–

(i) किसी मादक–द्रव्य का अब भी निर्माण कार्य कर रहा है, तो ऐसा कारावास दो वर्ष से कम नहीं होगा और ऐसा जुर्माना दो लाख रूपए से कम नहीं होगा। यदि जुर्माने का भुगतान नहीं किया जाता है, तो वह और कारावास भोगेगा;

(ii) लाहन, ऐसा कारावास एक वर्ष से कम नहीं होगा और ऐसा जुर्माना एक लाख रूपए से कम नहीं होगा। यदि जुर्माने का भुगतान नहीं किया जाता है, तो वह और कारावास भोगेगा;

(iii) बारह बोतलों से अनधिक 750 मिलीलीटर की मात्रा वाली प्रत्येक बोतल, हरियाणा में अनुज्ञप्त मद्यनिर्माणशाला से भिन्न विनिर्मित देसी मदिरा, ऐसा कारावास छह मास से कम नहीं होगा और ऐसा जुर्माना पचास हजार रूपए से कम नहीं होगा तथा उपरोक्त क्षमता की बारह बोतलों से अधिक मात्रा के लिए, ऐसा कारावास दो वर्ष से कम नहीं होगा और ऐसा जुर्माना दो लाख रूपये से कम नहीं होगा। यदि जुर्माने का भुगतान नहीं किया जाता है, तो वह और कारावास भोगेगा;

(iv) निम्नलिखित से भिन्न विदेशी मदिरा, :–

(क) भारत में अनुज्ञप्त मद्यनिर्माणशाला या आसवनी या बॉटलिंग प्लांट में विनिर्मित; या

(ख) भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का केन्द्रीय अधिनियम 32), अथवा सीमा–शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का केन्द्रीय अधिनियम 52) के अधीन भारत में आयातित, जिस पर सीमा शुल्क उद्ग्रहणीय है,

तो ऐसा कारावास दो वर्ष से कम नहीं होगा और ऐसा जुर्माना दो लाख रूपए से कम नहीं होगा। यदि जुर्माने का भुगतान नहीं किया जाता है, तो वह और कारावास भोगेगा;

(v) भारत में मद्यनिर्माणशाला या आसवनी या बॉटलिंग प्लांट में विनिर्मित विदेशी मदिरा अथवा भारत में आयातित, जिस पर भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का केन्द्रीय अधिनियम 32), अथवा सीमा–शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का केन्द्रीय अधिनियम 52) के अधीन सीमा शुल्क उद्ग्रहणीय है, तो दस पेटी अर्थात् नब्बे बल्क लीटर से अधिक की मात्रा हेतु, जिन पर इस अधिनियम के अधीन भुगतानयोग्य आबकारी शुल्क अथवा कोई अन्य कर का भुगतान नहीं किया गया है, तो ऐसा कारावास दो वर्ष से कम नहीं होगा और ऐसा जुर्माना दो लाख रूपए से कम नहीं होगा। यदि जुर्माने का भुगतान नहीं किया जाता है, तो वह और कारावास भोगेगा;

(vi) निजी कब्जे के लिए विहित सीमा से अधिक हरियाणा में किसी अनुज्ञप्त मद्यनिर्माणशाला में विनिर्मित देसी मदिरा, ऐसा कारावास छह मास से कम नहीं होगा और ऐसा जुर्माना पचास हजार रूपए से कम नहीं होगा। यदि जुर्माने का भुगतान नहीं किया जाता है, तो वह और कारावास भोगेगा;

(vii) भारत में किसी अनुज्ञप्त मद्यनिर्माणशाला या आसवनी या बॉटलिंग प्लांट में विनिर्मित विदेशी मदिरा अथवा भारत में आयातित, जिस पर भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का केन्द्रीय अधिनियम 32), अथवा सीमा–शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का केन्द्रीय अधिनियम 52) के अधीन सीमा शुल्क उद्ग्रहणीय है, जिस पर निजी कब्जे के लिए विहित सीमा से अधिक के लिए इस अधिनियम के अधीन भुगतानयोग्य आबकारी शुल्क और सभी अन्य करों का भुगतान नहीं किया गया है, तो ऐसा कारावास छह मास से कम नहीं होगा और ऐसा जुर्माना एक लाख रूपए से कम नहीं होगा। यदि जुर्माने का भुगतान नहीं किया जाता है, तो और कारावास भोगेगा; तथा

(viii) भारत में किसी अनुज्ञप्त मद्यनिर्माणशाला या आसवनी या बॉटलिंग प्लांट में विनिर्मित विदेशी मदिरा अथवा भारत में आयातित, जिस पर भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का केन्द्रीय अधिनियम 32), अथवा सीमा–शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का केन्द्रीय अधिनियम 52) के अधीन सीमा शुल्क उद्ग्रहणीय है, तो दस पेटी अर्थात् नब्बे बल्क लीटर मात्रा से अनधिक के लिए, जिन पर इस अधिनियम के अधीन भुगतानयोग्य आबकारी शुल्क अथवा कोई अन्य कर का भुगतान नहीं किया गया है, तो ऐसा कारावास एक वर्ष से कम नहीं होगा और ऐसा जुर्माना दो लाख रूपए से कम नहीं होगा। यदि जुर्माने का भुगतान नहीं किया जाता है, तो वह और कारावास भोगेगा;

(2) जो कोई भी, इस अधिनियम की धारा 29 तथा 30 से भिन्न किसी धारा या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, जारी की गई अधिसूचना या किए गए किसी आदेश या इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त किसी अनुज्ञप्ति, परमिट या अनुज्ञा–पत्र के उल्लंघन में–

(क) किसी मादक–द्रव्य का विक्रय करता है; या

(ख) गांजा के पौधों की खेती करता है; या

(ग) इस अधिनियम के अधीन स्थापित या अनुज्ञप्त किसी मद्यनिर्माणशाला, आसवनी या भाण्ड़ागार से किसी मादक–द्रव्य को हटाता है; या

(घ) विक्रय के प्रयोजनों के लिए बोतलों को किसी मदिरा से भरता है; या

(ङ) ताड़ी उत्पादन करने वाले किसी वृक्ष को छेदता है या से ताड़ी निकालता है,

तो कम से कम एक वर्ष के कारावास, जो दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और ऐसा जुर्माना दो लाख रूपए से कम नहीं होगा, से दण्डनीय होगा। यदि जुर्माने का भुगतान नहीं किया जाता है, तो वह और कारावास भोगेगा;

टिप्पणः– धारा 61 के अधीन जुर्माना, आबकारी शुल्क या प्रतिफल फीस की राशि, जो उद्ग्रहणीय हुई होती, यदि ऐसा मादक–द्रव्य इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार या उसके अधीन प्राप्त किसी अनुज्ञप्ति, परमिट या अनुज्ञा–पत्र के अनुसार कार्यवाही की गई है या किन्हीं उप–धाराओं में वर्णित जुर्माने की राशि, जो भी अधिक हो, के दस गुणा से कम नहीं होगी।"।

1914 के पंजाब अधिनियम 1 की धारा 62 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 62 में, "पाँच हजार रूपए" शब्दों के स्थान पर, "पचास हजार रूपए" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

1914 के पंजाब अधिनियम 1 की धारा 63 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 63 में, "ऐसी अवधि के लिए जो छह मास से कम तथा तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, कारावास से तथा पाँच हजार रूपए के न्यूनतम तथा दस हजार रूपए के अधिकतम जुर्माने से दण्डनीय होगा" शब्दों के स्थान पर, कम से कम छह मास की अवधि, जो पाँच वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, के कारावास से और ऐसा जुर्माना, जो पचास हजार रूपए से कम नहीं होगा किन्तु जिसे दो लाख रूपए तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डनीय होगा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

1914 के पंजाब अधिनियम 1 की धारा 63–क का प्रतिस्थापन।

6. मूल अधिनियम की धारा 63–क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"63–क. धारा 24–क के उल्लंघन में अप्रयुक्त तथा मुद्रित लेबलों, कॉर्कों इत्यादि के कब्जे के लिए शास्ति.– जो कोई भी धारा 24–क के उपबन्ध के उल्लंघन में, कोई अप्रयुक्त तथा मुद्रित लेबल, कॉर्क, कैपस्यूल, मोहर, अथवा उनकी अनुकृति अपने कब्जे में रखता है, तो वह कम से कम छह मास के कारावास, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और कम से कम पचास हजार रूपए के जुर्माने, जो दो लाख रूपए तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डनीय होगा।"।

1914 के पंजाब अधिनियम 1 की धारा 64 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 64 में, "तो वह कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकती है और जुर्माने से जो पाँच हजार रूपए तक हो सकता है, दण्डनीय होगा" शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, "तो वह ऐसी अवधि, जो एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, के कारावास से और ऐसे जुर्माने, जो दस हजार रूपए तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डनीय होगा" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

1914 के पंजाब अधिनियम 1 की धारा 65 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 65 के खण्ड (ग) के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड़े जाएंगे, अर्थात्:–

"(घ) अनुज्ञप्त परिसरों में विच्छृंखल व्यवहार और जुआ खेलने या वेश्यावृत्ति की अनुमति देता है; अथवा

(ङ) विहित सीमा से कम किसी मदिरा की क्षमता में कमी करता है,

तो ऐसे कारावास की अवधि, जो छह मास तक बढ़ाई जा सकती है और ऐसे जुर्माने, जो इस हजार रूपए से कम नहीं होगा तथा पचास हजार रूपए से अधिक नहीं होगा, से दण्डनीय होगा।"।

1914 के पंजाब अधिनियम 1 की धारा 72 का प्रतिस्थापन।

9. मूल अधिनियम की धारा 72 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"72. अपराधों का जमानतीय होना.– इस अधिनियम के अधीन दो वर्ष और उससे अधिक के कारावास से दण्डनीय सभी अपराध, अजमानतीय होंगे और अजमानतीय अपराधों के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) के उपबन्ध, उन अपराधों पर लागू होंगे।"।

1914 के पंजाब अधिनियम 1 में धारा 72क, 72ख, 72ग, 72घ तथा 72ङ का रखा जाना।

10. मूल अधिनियम की धारा 72 के बाद, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:–

"72क. मदिरा में हानिकर पदार्थ मिलाने के लिए शास्ति.– जो कोई भी, उस द्वारा विक्रय की गई या विनिर्मित या संसाधित किसी मदिरा में कोई हानिकारक ड्रग या कोई विदेशी अवयव मिलाता है या मिलाए जाने के लिए अनुज्ञात करता है, जिससे मानव को अशक्तता या घोर उपहति या मृत्यु होने की सम्भावना है,–

(क) यदि ऐसे कार्य के परिणाम स्वरूप मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु अथवा आजीवन कारावास से दण्डनीय होगा और जुर्माने, जो दस लाख रूपए तक बढ़ाया जा सकता है, के लिए भी दायी होगा;

(ख) यदि ऐसे कार्य के परिणाम स्वरूप अशक्तता या घोर उपहति होती है, तो कारावास की ऐसी अवधि, जो छह वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माने, जो पाँच लाख रूपए तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डनीय होगा;

(ग) यदि ऐसे कार्य के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को कोई अन्य पारिणामिक चोट पहुँचती है, तो कारावास की ऐसी अवधि, जो एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माने, जो दो लाख पचास हजार रूपए तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डनीय होगा;

(घ) यदि ऐसे कार्य के परिणाम स्वरूप कोई चोट नहीं पहुँचती है, तो कारावास की ऐसी अवधि, जो छह मास तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माने, जो एक लाख रूपए तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डनीय होगा।

व्याख्या.– इस धारा के प्रयोजन के लिए, "घोर उपहति" शब्द का अर्थ वही होगा, जो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम XLV) की धारा 320 में है।

72ख. प्रतिकर के भुगतान के लिए आदेश.– न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन आदेश पारित करते समय, यदि इसकी सन्तुष्टि हो जाती है कि किसी स्थान पर विक्रय की गई मदिरा के उपभोग के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है अथवा को चोट पहुँची है, तो विनिर्माता या विक्रेता, चाहे वह अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है या नहीं, को प्रत्येक मृतक के विधिक प्रतिनिधियों को कम से कम तीन लाख रूपए अथवा व्यक्ति, जिसको घोर उपहति हुई है, को दो लाख रूपए, अथवा किसी अन्य पारिमाणिका चोट के लिए उस व्यक्ति को बीस हजार रूपए की राशि प्रतिकर के रूप में भुगतान करने के आदेश कर सकता है:

परन्तु जहाँ मदिरा अनुज्ञप्त दुकान में विक्रय की जाती है, तो इस धारा के अधीन प्रतिकर का भुगतान करने का दायित्व अनुज्ञप्तिधारी पर होगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की तिथि से तीस दिन के भीतर, उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है:

परन्तु जब तक किसी अभियुक्त द्वारा उप–धारा (1) के अधीन उस द्वारा भुगतान की जाने वाली आदेशित राशि न्यायालय में जमा नहीं करवा दी जाती है तब तक कोई अपील दायर नहीं की जाएगी:

परन्तु यह और कि उच्च न्यायालय, यदि उसकी सन्तुष्टि हो जाती है कि अपीलकर्ता को तीस दिन की उक्त अवधि के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारण द्वारा रोका गया था, तो यह और नब्बे दिन की अवधि के भीतर आवेदन ग्रहण कर सकता है; किन्तु उसके बाद नहीं।

72–ग. सार्वजनिक स्थान पर मदिरा के उपभोग के लिए शास्ति.– जो कोई भी, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों, जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश के उल्लंघन में–

(क) सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का उपभोग करता है;

(ख) सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का उपभोग करता है और उपद्रव करता है;

(ग) मदिरा प्रतिष्ठान के परिसरों में असामाजिक तत्व को मदिरापान अनुमत करता है या जमावड़ा अनुज्ञात करता है,

निम्नलिखित से दण्डनीय होगा,–

(1) खण्ड (क) के अधीन आने वाले अपराध की दशा में, ऐसा जुर्माना जो पाँच हजार रूपए तक बढ़ाया जा सकता है;

(2) खण्ड (ख) के अधीन आने वाले अपराध की दशा में, ऐसे कारावास की अवधि जो तीन मास तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माना जो दस हजार रूपए तक बढ़ाया जा सकता है;

(3) खण्ड (ग) के अधीन आने वाले अपराध की दशा में, ऐसे कारावास की अवधि जो छह मास तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माना जो पचास हजार रूपए तक हो सकता है।

72घ. विधिविरूद्ध विज्ञापन के लिए शास्ति.– जो कोई भी, किसी मदिरा के उपभोग के प्रलोभन के लिए किसी मीडिया में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन प्रिन्ट करता है, प्रकाशित करता है अथवा देता है, तो ऐसे कारावास की अवधि, जो छह मास तक बढ़ाई जा सकती है अथवा ऐसे जुर्माने, जो दो लाख रूपए तक बढ़ाया जा सकता है, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा:

परन्तु यह धारा उपभोक्ता की सूचना और शिक्षा के लिए विक्रय स्थल पर प्रदर्शन के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा सामान्यतः या विशेष रूप से अनुमोदित तालिका और मूल्य सूची को लागू नहीं होगी।

72ङ. कतिपय अपराधों का प्रशमन.– (1) छोटे अपराध, इस नियम के अधीन प्रशमनयोग्य होंगे।

(2) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन छोटा अपराध करने के लिए युक्तियुक्त रूप से संदिग्ध है, उसे दोषसिद्ध ठहराए जाने से पूर्व, अपराध के प्रशमन के लिए कलक्टर को आवेदन कर सकता है।

(3) ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर, कलक्टर, मामले की परिस्थितियों पर विचार करते हुए, अपने विवेक से प्रशमन फीस के रूप में धनराशि के भुगतान पर अपराध के प्रशमन के लिए अथवा ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों, जो वह उचित समझे, पर अपराध के प्रतिकर के लिए आदेश कर सकता है।

(4) उस व्यक्ति द्वारा ऐसी धनराशि के भुगतान पर, ऐसे व्यक्ति, यदि हिरासत में है, को स्वतन्त्र किया जाएगा और ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध किसी दण्ड न्यायालय में कोई कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी अथवा जारी नहीं रखी जाएगीः

परन्तु इस धारा के अधीन कलक्टर द्वारा प्रशमन फीस या प्रतिकर के रूप नियत धनराशि, शामिल शुल्क या मादक–द्रव्य, औजार, वाहन तथा अन्य सामग्री के मूल्य, जो भी अधिक हो, से पाँच गुणा से कम और दस गुणा से अधिक नहीं होगीः

परन्तु यह और कि जहाँ मादक–द्रव्य, औजार अथवा अन्य सामग्री अभिग्रहण की गई है, तो उसे निर्मुक्त नहीं किया जाएगा किन्तु ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में उसका निपटान किया जाएगा।

72च. अभिग्रहण किए जाने के लिए दायी कतिपय सामान.– जहाँ इस अधिनियम के अधीन किसी बड़े अपराध में शामिल मादक–द्रव्य, औजार, वाहन अथवा अन्य सामग्री अभिग्रहण की गई है, तो उसे निर्मुक्त नहीं किया जाएगा किन्तु ऐसी, रीति, जो विहित की जाए, में उसका निपटान किया जाएगा।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

आबकारी तथा कराधान विभाग नकली शराब के निर्माण/बिक्री पर पूर्ण जॉच सुनिश्चित करने, आबकारी शुल्क के अपवंचन के सभी प्रयासों को विफल करने, रिसाव/तीक्षणता को बन्द करने, राजस्व के अनुकूलन, वैध और जिम्मेदार पीने के लिए माहौल बनाने और अच्छी गुणवत्ता प्रदान करने के लिए तथा शराब पीने वालों को उचित मूल्य पर शराब उपलब्ध करवाने हेतु प्रतिबद्ध है। शराब माफियाओं के प्रभुत्व को रोकने के लिए भी विभाग सभी प्रयास कर रहा है। राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य और भलाई के लिए उचित महत्व दिया जा रहा है। इसलिए यह जरूरी है कि उपरोक्त कथित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विधि विरूद्ध शराब के आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण और कब्जे सम्बन्धि विधि को अधिक कठोर बनाया जाये।

इसलिए, यह विधेयक।

दुष्यंत चौटाला,
उप–मुख्य मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 27 फरवरी, 2020.

आर० के० नांदल,
सचिव।